183

कार्यालय नगर परिषद, सुपौल

Spl. Sec.
O. S. D. (K)

पत्रांक 31 / न0प0

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।

सेवा में,

सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सुपौल, दिनांक 29/01/2015

विषय : अंकेक्षण प्रतिवेदन 191/2008–09 लेखा वर्ष 2006–07 से 2007–08 का लंबित अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग : भवदीय अर्द्धसरकारी पत्रांक – 7/अंकेक्षण– 95/2014/506 (बुडा) पटना दिनांक 19.01.2015

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के क्रम में वांछित अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ समर्पित किया जा रहा है।

सादर ।

अनुलग्नक :
तीन पृष्ठों में।

विश्वासभाजन,

29/1/15

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
02 FEB 2015
संख्या 967
बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र
30 JAN 2015
बिहार, पटना

OSD (K)
2.2.15

So-7
4/2/15

30/10
82
10/2/15

कार्यालय नगर परिषद, सुपौल

अवधि अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 191/2008-09
लेखा वर्ष- 2006-07 से 2007-08 तक

1. प्रस्तावना –	कोई टिप्पणी नहीं।
2. प्रशासन –	कोई टिप्पणी नहीं।
3. लेखा परीक्षा क्षेत्र –	कोई टिप्पणी नहीं।
4. पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन :-	अंकेक्षण दल को समयाभाव में कंडिकाओं को निरस्त नहीं किया जा सका है, जिसे अगले लेखा परीक्षा में निरस्त कराया जाएगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित 38 कंडिकाओं का अनुपालन किया गया है। साथ ही निदेश का पालन किया जाएगा।
5. महत्त्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धि :-	संबंधित उपलब्धियों का प्रतिवेदन कंडिकावार उल्लिखित है।
6. आंतरिक अंकेक्षण :-	आंतरिक अंकेक्षण के निदेश को भविष्य के लिए स्वीकार किया गया।
7. वित्त :-	संधारित सभी बैंक खातों एवं रोकड़पंजियों का आरंभ एवं अंत:शेष की गणना करायी जा रही है। अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाएगा। नगर परिषद अपनी स्थापना व्यय की प्रतिपूर्त्ति हेतु आंतरिक स्त्रोंतो की वृद्धि एवं कर संग्रहण वृद्धि हेतु प्रयासरत है। विभागीय निदेश के आलोक में योजनावार खातों का संचालन किया जा रहा है।
8. सरकारी अनुदान :-	सरकारी सहायक अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है। (i) 12वें वित्त आयोग की शेष राशि से योजनाएँ कार्यान्वित है, व्यय की गई राशि की विवरणी अगले अंकेक्षण में दिखाई जाएगी। (ii) प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा इसी भवन में वर्त्तमान में कार्यालय संचालित है।
9. ऋृण पंजी :-	ऋृण पंजी को विहित प्रपत्र में तैयार करने का निदेश दिया गया है। तैयार ऋृण पंजी अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।
10. बजट प्राक्कलन :-	बजट प्राक्कलन समय पर तैयार करने के निदेश का अनुपालन किया जा रहा है।
11. संग्राहित राशि :-	नहीं/कम जमा – संग्राहित, वैसी राशि जिसे या तो जमा नहीं किया गया था अथवा कम जमा किया गया था को जमा कराते हुए अगले अंकेक्षण में उपलब्ध करा दिया जाएगा।
12. मांग एवं सग्रह पंजी :-	लेजर K एवं L को तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसे अगले अंकेक्षण में उपलब्ध करा दिया जाएगा।
13. सरकारी भवनों पर बकाया कर :-	सरकारी भवनों के विरूद्ध लंबित संपत्ति कर की गणना करते हुए संबंधित विभागों को सूचित किया गया है। कतिपय विभागों द्वारा राशि भी जमा किया गया है। शेष विभागों से

181

राशि प्राप्त करते हुए अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

14. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर :- कर संग्राहकों द्वारा कम वसूल किये गये उपकरों को वसूल करने का निदेश दिया गया है वसूल की गयी राशि को संबंधित शीर्ष में ज़मा कराते, हुए अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

15. खतरनाक व्यवसाय :- बकाया अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाएगा।

16. 12वां वित्त :- (i) (a) सफाई कार्य में लगाए गए मजदूरों को मजदूरी को मजदूरी का भुगतान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद से किया गया है। साफ–सफाई कार्य, नाला उड़ाही, कचरा निस्तारणादि का कार्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत अनुमान्य है। वर्त्तमान में सरकार द्वारा भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यों को मान्यता प्रदान की गयी है।

(b) 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध शेष राशि से योजनाऐं कार्यान्वित है, तदनुसार राशि समाप्तप्राय है। योजनाओं के विरूद्ध दिए गए अग्रिम 305000.00 के समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा।

(c) कंडिका में वर्णित 24 योजनाओं में से 09 योजनाओं को अधूरा दिखाया गया है। वास्तव में ये योजनाऐं ईंट सोलिंग की है, जिन पर होने वाले व्यय का उपलब्ध राशि के आलोक में आकलन, बोर्ड द्वारा कार्य प्रारंभ होने के बाद किया गया एवं विचलन से बचने के लिए राशि के अभाव में सोलिंग की लम्बाई कम करते हुए 60000.00 रूपया तक सीमित कर दिया गया है।

वस्तुस्थिति यह है कि ये योजनाऐं, ऐसी योजनाऐं नहीं थी जिनकी लम्बाई कम हो जाने से उनके अनुपयोगी रह जाने की स्थिति उत्पन्न होती। सम्प्रति सभी सड़कें पी0सी0सी0 हैं।

(ii) सक्शन मशीन की खरीद : सक्शन मशीन की आपूर्त्ति के विरूद्ध किए गए अधिक भुगतान मो0 55989.00 की वसूली के लिए संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता KAM-AVIDA, Eviro Engg. PVT. LTD, Pune को नोटिस निर्गत किया गया है। फलाफल से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाएगा।

(iii) फॉगिंग मशीन की खरीद : फॉगिग मशीन की आपूर्त्ति हो गयी है। अग्रिमादि देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया है।

17. अग्रिम का समायोजन :- दिए गए अग्रिम के समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा।

18. आयकर/रायल्टी जमा नहीं :- राशि संबंधित शीर्षों में जमा करने की कार्रवाई की गयी है, जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

19. फोटो कॉपी विपत्र का भुगतान :- विपत्र की मूल प्रति कार्यालय से गुम हो गयी थी परन्तु प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान का दबाव बनाया जा रहा था। प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत विपत्र (छायाप्रति) जांचोपरान्त भुगतान किया गया है। वित्तीय नियमावली के उल्लंघन की मंशा प्रतीत नहीं होती।

180

20.

(i) **बकाया अग्रिम –**
अग्रिम का समयोजन किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा।
(ii) **द्वितीय अग्रिम –**
भविष्य में दिए गए निदेश का ध्यान रखा जाएगा। वर्त्तमान में निविदा द्वारा कार्यों का संपादन किया जा रहा है अस्तु अग्रिम नहीं दिया जाता है।
(iii) **अग्रिम पंजी –**
दिए गए अग्रिमों को अग्रिम पंजी में अंकित करते हुए, समायोजन की स्थिति अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाएगा।
(iv) निदेश का पालन किया जा रहा है, अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

21. **अंकेक्षण प्रतिफल :–** अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत कुल राशि 383618.00 के वसूली/समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

22. **कार्यपालक पदाधिकारी से विमर्श :–** कोई टिप्पणी नहीं।

23. **सामान्य अभ्युक्तियां :–** निदेश का अनुपालन किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

29/1/15

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।

29/1/15